डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिये अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. भोपाल—505/डब्ल्यू.पी.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन 122 (एम. पी.)

# मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 570] भोपाल, शनिवार, दिनांक 29 दिसम्बर 1984—पौष 8, शके 1906

## सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक २९ दिसम्बर १९८४

क्र. ३८३५-ए-३-१६-८३-एक(१).—इस विभाग की अधिसूचना क्र. १७५३-२१९५-एक(१)-८३, दिनांक ३० जून १९८३, क्र. १४५३-ए-३-१६-८३-एक(१), दिनांक २९ मई १९८४ एवं क्र. २१९४-२७०२-एक(१)-८४, दिनांक ९ अगस्त १९८४ में अंशतः संशोधन करते हुए तथा मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियम के नियम ४ के अनुसरण में मध्यप्रदेश के राज्यपाल अपने मंत्री/राज्य मंत्री के प्रभार में उनके नाम के सामने दिये गये और/या विभाग की कार्यसूची के विषय सौंपते हैं :—

| नाम मंत्री/राज्य मंत्री का नाम व पद | सौंपे गये विभाग और/या विभाग की कार्यसूची के विषय |
|---|---|
| (१) | (२) |
| (१) श्री अर्जुन सिंह, मुख्य मंत्री | सामान्य प्रशासन<br>गृह<br>प्रकाशन<br>संस्कृति<br>विमानन<br>उर्जा<br>नर्मदा घाटी विकास योजना<br>आर्थिक और सांख्यिकी<br>सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो<br>बीस सूत्र कार्यान्वयन<br>विज्ञान एवं टैक्नालॉजी<br>नगरीय कल्याण के अतिरिक्त<br>वृहद और मध्यम सिंचाई,<br>आयाकट |
| (२) श्री झुमुकलाल भेंण्डिया, मंत्री | वित्त<br>आदिम जाति, हरिजन तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण (हरिजन तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण को छोड़कर) के अतिरिक्त<br>वन |

| (१) | (२) |
|---|---|
| (३) श्री बी. आर. यादव, मंत्री | सहकारिता<br>आदिम जाति, हरिजन तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण (आदिम जाति तथा हरिजन कल्याण को छोड़कर) के अतिरिक्त<br>पृथक आगम |
| (४) डा. राजेन्द्र जैन, मंत्री | वाणिज्य और उद्योग<br>खनिज साधन के अतिरिक्त<br>श्रम और पुनर्वास |
| (५) श्री भारत सिंह, राज्य मंत्री | परिवहन (स्वतंत्र प्रभार में)<br>गृह के अतिरिक्त<br>वृहद और मध्यम सिंचाई<br>आयाकट |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रह्मस्वरूप, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक २९ दिसम्बर १९८४

क्र. ३८३६-ए-३-१६-८३-एक(१).—भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. ३८३५-ए-३-१६-८३-एक(१), दिनांक २९ दिसम्बर १९८४ का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रह्मस्वरूप, मुख्य सचिव.

Bhopal, the 29th December 1984

**No. 3835-A-3-16-83-I(i).**—In partial modification of this Departments Notification No. 1753-2195-I(i)-83, dated 30th June 1983, No. 1453-A-3-16-83-I(i), dated 29th May 1984 and No. 2194-2702-I(i)-84, dated 9th August 1984 in pursuance of Rule 4 of the Madhya Pradesh Business (Allocation) Rules the Governor of Madhya Pradesh has been pleased to assign to the charge of his Ministers, Ministers of State the Department(s) and/or the item(s) of business in a Department shown against him :—

| Name of Minister/Minister of State | Department(s) and/or item(s) of business in a department assigned |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 1. Shri Arjun Singh, Chief Minister | Major and Medium Irrigation,<br>Command Area Development<br>in addition to<br>General Administration<br>Home<br>Publicity<br>Culture<br>Aviation<br>Energy<br>Narmada Valley Development Planning,<br>Economics & Statistics<br>Bureau of Public Undertakings<br>20 Point implementation<br>Science and Technology<br>Urban Welfare |

| | (1) | (2) |
|---|---|---|
| 2. | Shri Jhumuklal Bhedia, Minister | Forest<br>in addition to<br>Finance<br>Tribal, Harijan and Backward Classes Welfare (Except Harijan and Backward Classes Welfare) |
| 3. | Shri B. R. Yadav, Minister | Separate Revenue<br>in addition to<br>Co-operation<br>Tribal, Harijan and Backward Classes Welfare (except Tribal and Harijan Welfare) |
| 4. | Dr. Rajendra Jain, Minister | Labour & Rehabilitation<br>in addition to<br>Commerce and Industry<br>Mineral Resources |
| 5. | Shri Bharat Singh, State Minister | Major and Medium Irrigation<br>Command Area Development<br>in addition to<br>Home<br>Transport (Independently) |

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

BRAHMA SWARUP, Chief Secy.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश, द्वारा शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—1984